

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा
प्रभूनारायण बनाम रामजीलाल एवं अन्य

किस्म मुकदमा— स्थानान्तरण प्रा0पत्र

नम्बर 94-सन्- 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि श्री मोहर सिंह मीणा पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान वर्तमान में नांगल राजावतान में कार्यरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी नांगल राजावतान के पद पर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने विचाराधीन उक्त स्थानान्तरण प्रा0पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका नांगल राजावतान से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अतः स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



Devendra
जिला कलक्टर
दौसा

